

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 21/2023)

"अभिसारित डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं का विनियमन - प्रसारण और दूरसंचार सेवाओं के कैरिज के अभिसरण को सक्षम बनाना" पर भादूविप्रा के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार।

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2023: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 30 जनवरी, 2023 को "अभिसारित डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सेवाओं का विनियमन - प्रसारण और दूरसंचार सेवाओं के कैरिज के अभिसरण को सक्षम बनाना" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी, 2023 और प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13 मार्च, 2023 निर्धारित की गई थी।

2. टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए समय के विस्तार के लिए हितधारकों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि लिखित टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 27 मार्च, 2023 और 10 अप्रैल, 2023 तक बढ़ाई जाए।

3. टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण), भादूविप्रा को ईमेल आईडी: advbbpa@traai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं, साथ ही एक प्रति jtadv-bbpa@traai.gov.in पर भी भेजी जा सकती है। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार, (ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण) से टेलीफोन नंबर - +91-11-23236119 पर संपर्क किया जा सकता है।

हस्ताक्षरित
(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा